

-> आदेश :-

निदेश, प्राविधिक शिक्षा उ०ग०, जलपुर के वन सं० 118 केय लखनऊ/ई-स्थापनासूचिका-2004, दिनांक 03-11-2004 द्वारा प्रेषित पत्रिका अर्म्पर्थी की तृतीयाई अर्म्पर्थी के अनुसार उक्त के अनुपालन में कम्प्यूटर प्रोग्रामर/ऑपरेटर, वेतनक्रम 4500-7000 के रिक्त पद पर राजकीय पालीटेक्निक, महोबा में श्री मोहम्मद सइदुल्लाह पुत्र श्री अलीम अहमद, 672 फेथुल, नं० छावनी, जलपुर की उ०ग० द्वारा तथीकृत सैद्धार्य वाली तथित पदवार गृह्य करने की तिथि के अर्थात् नियुक्ति की जाती है। यह नियुक्ति पूर्णकाल अर्थात् के सर्व नियुक्त अर्म्पर्थी की तैवारी कित्ती की तथ्य कित्ती, पद द्वारा सातना-देत संख्या 20/1/74-5, दिनांक 01 पून, 1999 के अनुसार एक मास के नोटिस पर समाप्त की जा सकती है।

पिछले वर्ष की अर्म्पर्थी की नियुक्ति उनके द्वारा पिछले वर्ष के प्रमाण-पत्र के उचित माध्यम से तथ्यापित कित्ती जाने पर पिछले वर्ष केता कि अर्म्पर्थी के, का दावा पूरा पाया जाता है तो उक्त तैवारी कित्ती काय्य पदाये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और पूरे प्रमाण-पत्र कित्ती जाने के तथ्यना में भारतीय एक संकिता के उपबन्धी के अनुरोध अग्रिम अर्थात्क तथ्यापित कित्ती पूर्णकृत के की जायेगी।

उपरोक्त अर्म्पर्थी को पदवार गृह्य करने तथ्य निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे:-

- 1- तथी प्रमाण-पत्रों की प्रमापित प्रतिलिपियाँ।
- 2- जो राज्यपित अधिकारियों से प्राप्त प्रमाण-पत्र को उनके संबंधी न हों।
- 3- एक तथी की कित्ती होने का प्रमाण-पत्र।
- 4- एक विहितताधिकारी द्वारा प्रदान तथ्यकृत प्रमाण-पत्र।
- 5- भारतीय संविधान के प्रति निष्ठावान होने का प्रमाण-पत्र।
- 6- अनुभव प्रमाण-पत्र।

पदवार गृह्य करने की सूचना के तथ्य उपरोक्त तथी प्रमाण-पत्र एक कार्यालय सर्व निदेशालय के जाये। यदि नियुक्ति अर्म्पर्थी दिनांक 05-12-2004 तक पदवार गृह्य करने में अर्म्पर्थी होता है तो उक्त नियुक्ति अर्थात् तथ्या: समाप्त कित्ती जायेगी। पदवार गृह्य करने हेतु नियुक्ति अर्म्पर्थी की कित्ती प्रचार का पाया जाता देय नहीं होता।

। स. स. राम ।
तथ्यका निदेशक

कार्यालय : संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा उ०ग०,
पुनिकाठ डन, डीसी।

दिनांक 15/11-18 संकिता/स्थापना-नियुक्ति-2004, दिनांक: नवम्बर 15, 2004
उपरोक्त की प्रतिलिपि-निम्नलिखित की सूचनाई सर्व आक्षयक कार्यवाही

हेतु प्रेषित:-

- 1- निदेशक, प्राविधिक शिक्षा उ०ग०, जलपुर को उनके वन सं० 118 केय लखनऊ/ई-स्थापनासूचिका-2004, दिनांक 03-11-2004 के तथ्य में।
- 2- प्रयागाचार्य, राजकीय पालीटेक्निक, महोबा की उक्त अर्म्पर्थी के आक्षयक-पत्र की जायाप्रति कित्ती कित्ती। इस आक्षय के कि उपरोक्त अर्म्पर्थी को तथ्या में निर्धारित अर्थात् एक कार्यवाही गृह्य करने की सूचना निदेशालय सर्व का कार्यालय की है। यदि नियुक्त अर्म्पर्थी निर्धारित तिथि तक पदवार गृह्य नहीं करता है तो उक्त सूचना निर्धारित तिथि के पश्चात तुरन्त अर्थात् तथ्याई सर्व निदेशालय की अर्म्पर्थी करने का एक तथ्यकृत अर्म्पर्थी को उपरोक्त पत्र पर।

। स. स. राम ।
तथ्यका निदेशक

3-
Lecturer
Govt. Polytechnic
Fatehgarh